पत्र संख्या-स्था0-2-सामान्य-78-ज्येष्ठता सूची-2015/ 591 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना- अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाक :: 18 मई, 2018,

// शुद्धि पत्र //

असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर पदोन्नति के समय श्री वरुण कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-11, आगरा के प्रार्थना पत्र दिनांक 21-03-2018 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23-11-2015 के जारी होने के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उनकी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर वास्तव में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28-03-2013 है जिसका प्रमाण भी श्री वरुण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि ज्येष्ठता सूची दिनांक 23-11-2015 में ज्येष्ठता क्रमांक-3107 पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि त्रुटिपूर्ण ढंग से 28-07-2013दर्शायी गयी है।

श्री वरुण कुमार द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना का अभिलेखो से परीक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2009 से वर्ष 2012-2013 तक जिन कार्मिकों ने वाणिज्य कर अंधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया था उनकी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था0-2-वा0क0अ0-ज्येष्ठता-2015/ 3146 /वाणिज्य कर दिनांक 05-11-2015 द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक-2583 से ज्येष्ठता क्रमांक-3206 तक जारी की गयी। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय बेबसाईट पर इस निर्देश के साथ प्रकाशित किया गया था कि उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित कार्मिकों में से जिन कार्मिकों की सूचनाएं त्रुटिपूर्ण है अथवा जिन्हे उक्त क्रम में अपनी आपत्तियॉ प्रस्तुत करनी है तो वे दिनांक 16-11-2015 तक अपनी अनन्तिम ज्येष्ठता संशोधित करने हेतु आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु श्री वरुण कुमार वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-11, आगरा द्वारा अपने ज्येष्ठता क्रमांक-3107 के सम्मुख अंकित त्रुटिपूर्ण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28-07-2013 के स्थान पर दिनांक 28-03-2013 संशोधित किये जाने हेतु अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी जिसके कारण उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची 2015 के ज्येष्ठता क्रमांक-3107 में उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तत्समय संशोधित न हो पाने के कारण अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23-11-2015 में भी ज्येष्ठता क्रमांक-3107 पर श्री वरुण कुमार के सम्मुख उनकी कार्यभार ग्रहण करने की त्रुटिपूर्ण तिथि 28-07-2013 बनी रह गयी। अभिलेखो से परीक्षणोपरान्त श्री वरुण कुमार की वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि 28-03-2013 है जिसके अनुसार ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित त्रुटिपूर्ण तिथि 28-07-2013 में संशोधन अपेक्षित है। यदि श्री वरुण कुमार की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28-07-2013 के स्थान पर दिनांक 28-03-2013 संशोधित करने पर श्री वरुण कुमार अथवा उक्त ज्येष्ठता सूची में अंकित अन्य किसी कार्मिक की ज्येष्ठता प्रभावित नही होगी।

अत: वर्णित तथ्यों के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक-3431 दि023-11-2015 द्वारा जारी वाणिज्य कर अधिकारी की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-3107 पर अंकित श्री वरुण कुमार के नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उनकी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28-07-2013 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि श्री वरुण कुमार की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28-07-2013 के स्थान पर दि0 28-03-2013 पढ़ी /संशोधित समझी जाये।

उक्त के अतिरिक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 23-11-2015 के शेष अंश यथावत रहेगें।

ह0/-
(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

---2/

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/3 उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।

2- सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4- अपर निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर, विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ।

5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

6- असिस्टेन्ट कमिश्नर(कम्प्यूटर)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची के संशोधन की एक प्रति विभाग की बेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

7- श्री वरुण कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-11, आगरा।

8- स्था0-2, पटल को 05 प्रतियाँ।

(बबिता तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।